समाहरणालय मधेपुरा
(जिला पंचायत कार्यालय)

दिनांक-27.10.2014 को मो0 खुरशीद आलम अन्सारी (बि0प्र0से0), जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना, प्रखंड मधेपुरा की मुखिया श्रीमति सुमित्रा देवी के विरूद्ध बाढ आश्रायणी स्थल, वार्ड नं0-14, बेतौना में अविश्वास प्रस्ताव हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति : वार्डवार मतदाताओं की उपस्थिति 15 अलग-अलग पंजियों में संधारित।

ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना, प्रखंड मधेपुरा के कुल 2335 मतदाताओं द्वारा मुखिया श्रीमति सुमित्रा देवी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विशेष बैठक आयोजित किये जाने की मॉग के कम में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 के खंड 4 के उप खंड (1) के अन्तर्गत एवं प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4645, दिनांक-01.07.2014 के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-26-1, दिनांक-16.10.2014 के द्वारा जारी आम सूचना (कार्य विवरणी) के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पूर्व निम्नवत प्रकिया अपनायी गयी :

(1) जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निदेश के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-640, दिनांक-25.10.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना अन्तर्गत कुल 15 वार्डो के लिए अलग-अलग वार्डवार काउण्टर बनाया गया जिसपर दो कर्मी एवं एक पदाधिकारी अर्थात 03 सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई। वार्डवार प्रत्येक काउण्टर पर अलग-अलग मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित करने हेतु पंजी संधारण किया गया। मतदाओं की उपस्थिति का अभिलेखन वर्ष 2011 के पंचायत आम निर्वाचन की मतदाता सूची के आधार पर किया गया। निर्धारित उपस्थिति अभिलेखन की समय सीमा 08:00 बजे प्रातः से 11:00 पूर्वाहन तक निर्धारित थीं। वार्डवार निम्नप्रकार मतदाताओं द्वारा उपस्थिति अभिलिखित करायी गयी।

क0	वार्ड संख्या	पुरूष मतदाता	महिला मतदाता	कुल मतदाता
01	01	07	03	10
02	02	04	02	06
03	03	12	00	12
04	04	07	00	07
05	05	16	04	20
06	06	03	01	04
07	07	00	00	00
08	08	00	00	00
09	09	05	01	06
10	10	38	14	52
11	11	28	06	34
12	12	36	05	41
13	13	15	06	21
14	14	14	01	15
15	15	14	19	33
कुल योग :-		199	62	261

(2) ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना की कुल मतदाताओं की संख्या निर्वाचन नामावली, 2011 के अनुसार 6172 है। जिसमें 188 मृत एवं 84 दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं अर्थात कुल 272 मतदाताओं की संख्या को घटाते हुए कुल वैद्य मतदाताओं की संख्या 5900 है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 के खंड 4 के उपखंड (1) के तहत कुल वैद्य मतदाताओं की संख्या 5900 के 50 प्रतिशत अर्थात 2950 + 1 = 2951 मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित होने पर हीं अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण कर आगे की कार्यवाही की जा सकती थीं।

उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में मात्र 261 मतदाताओं द्वारा अपनी उपस्थिति अभिलिखित करायी जा सकी, जो अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने की निर्धारित संख्या से काफी कम है।

अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 के खंड 4 के उपखंड (1) के तहत ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना के कुल वैद्य मतदाता 5900 के 50 प्रतिशत से कम मतदाताओं द्वारा अपनी उपस्थिति अभिलिखित कराने के फलस्वरूप पंचायत की मुखिया श्रीमति सुमित्रा देवी के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव असफल घोषित किया जाता है। इसप्रकार मुखिया श्रीमति सुमित्रा देवी अपने पद पर बनी रहेंगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ विशेष बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 642 /पं0, मधेपुरा, दिनांक 27 / 10 /2014 ।

प्रतिलिपि : पंचायत सचिव/मुखिया, ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना, प्रखंड मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता (आपदा), मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/10/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा